भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 29

दिनांक 17.07.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्धारित स्वच्छता मानक

29. श्री मेघराज जैनः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एस॰ बी॰ एम॰ –जी॰) के अंतर्गत निर्धारित स्वच्छता मानक क्या है;

(ख) क्या एस॰ बी॰ एम॰ –जी॰ की शुरुआत के बाद से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरुकता में महत्वपूर्ण बदलाव आया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एस॰ बी॰ एम॰ –जी॰ के कार्यान्वयन में क्या कुछ चुनौतियां आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन चुनौतियों का समाधन करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) (एसबीएम-जी) खुले में शौच से मुक्ति और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में है। खुले में शौच से मुक्त स्थिति को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:-

''ओडीएफ 'मल-मौखिक' संचारण का समापन है, जो निम्नानुसार परिभाषित होगा:-

1) वातावरण/गांव में किसी प्रकार का मल दृष्टिगत न होना,

2) प्रत्येक परिवार और साथ ही सार्वजनिक/सामुदायिक संस्थानों द्वारा मल के निपटान हेतु सुरक्षित तकनीकी विकल्प का प्रयोग हो।

(सलाह:- सुरक्षित तकनीकी विकल्प का अर्थ है सतही मिट्टी, भूजल अथवा सतही जल में किसी प्रकार का संदूषण न होना, मल का मक्खियों तथा जानवरों की पहुंच से दूर होना, दुर्गंध तथा भद्दी स्थिति से मुक्त होना।)''

एसबीएम-जी दिशानिर्देश, अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान हेतु प्रणालियों की संस्थापना के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राज्यों को प्रौद्योगिकीय विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य अपने अनुकूल सामाजिक रूप से स्वीकार्य और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रौद्योगिकियों की पहचान कर सकते है। ग्राम स्वच्छता सूचकांक विकसित किया गया है, जिसमें सुरक्षित शौचालयों की उपलब्धता तथा साथ ही घरों के आस-पास और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता है या नहीं जैसे कारक शामिल हैं।

(ख) जी हां। स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। कार्यक्रम का फोकस व्यवहारगत परिवर्तन और सामुदायिक भागीदारी पर है। इसी वजह से महिला, बच्चे, युवा, सिविल सोसाइटी संगठन, समाज के सभी वर्ग स्वच्छता के इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं एवं अपने गांव को साफ और खुले में शौच मुक्त बना रहे हैं। एसबीएम (जी) की शुरूआत से ग्रामीण स्वच्छता की प्रगति में तेजी आई है। दिनांक 12.07.2017 के अनुसार 149 जिलों, 1393 ब्लॉकों, 95127 ग्राम पंचायतों और 2,06,249 गांवों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया है। स्वच्छता कवरेज दिनांक 2.10.2014 में 38.67% से बढ़कर दिनांक 12.07.2017 तक 65.04% हो गया है।

(ग) स्वच्छता मुख्य रूप से एक व्यवहारगत मुद्दा है। इसके अंतर्गत खुले में शौच को समाप्त करने और सुरक्षित स्वच्छता उपायों को अपनाने के लिए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन करना शामिल है। चूंकि इसमें सहयोग के रूप में समुदाय की भागीदारी और कौशल की आवश्यकता होती है अत: इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। ये चुनौतियां, क्रियान्वयन तंत्र में क्षमता निर्माण, सामुदायिक भागीदारी पर लगातार फोकस बनाए रखने, सामूहिक (अर्थात् संपूर्ण रूप में एक गांव) व्यवहारगत परिवर्तन लाने और प्रौद्योगिकीय अभिनवों को बढ़ावा देने, वित्तीय और

कार्यक्रम प्रबंधन को सुदृढ़ बनाकर, निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता के साथ अन्य विकास स्कीमों के बीच ताल-मेल करने से संबंधित हैं। ये कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना किया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त चुनौतियों का समाधान करने के लिए निम्नांकित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं:

- व्यवहारगत परिवर्तन पर बल: समुदाय आधारित सामूहिक व्यवहारगत परिवर्तन पसंदीदा दृष्टिकोण के रूप में उल्लिखित है, हालांकि, राज्य उनके लिए उपयुक्त दृष्टिकोण को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गांवों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है न कि केवल वैयक्तिक शौचालयों के निर्माण पर। यह पूरे गांव को व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करने से संबंधित है।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को लचीलापन दिया गया है। भारत में व्यापक सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक विविधता और नवाचारों को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है।
- इसमें सामुदायिक दृष्टिकोण और कार्यक्रम प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए क्षमता निर्माण पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए पर्याप्त क्षमताओं की कमी, एक प्रमुख चुनौती है। अत: सभी हिस्सेदारों तक पहुंचने के लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं। भारत सरकार की ओर से, राज्यों तथा चयनित संगठनों (मुख्य संसाधन केंद्रों) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद वे राज्यों में अन्य स्तरों का प्रशिक्षण देंगे। जिला स्तर पर नेतृत्व के लिए कार्यक्रम में जिला स्तर के प्रमुख-कलेक्टर-को शामिल किया गया है। उन्हें कार्यशालाओं एवं बाहर के दौरों, दोनों के माध्यम से उत्तम रीतियों से परिचित कराया जा रहा है। देश भर से 530 से अधिक कलेक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। अधिकारियों को प्रारंभिक स्तर से ही इससे परिचित कराने के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी - (एलबीएसएनएए), मसूरी के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है। एसबीएम (जी) के बेहतर कार्यान्वयन, जिसमें समुदायों में व्यवहारगत परिवर्तन हेतु 'प्रेरित' करना शामिल हो, सहित आईएएस और अन्य ग्रुप 'ए' के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- एनजीओ, कॉरपोरेट क्षेत्र, युवाओं आदि को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को समाज के सभी वर्गों के सहयोग से एक जन आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा है। पंचायतों को सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है।
- समय को कम करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया जा रहा है।
- राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर तकनीकी में नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रो.आर.ए. माशेल्कर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति है जो सुरक्षा एवं व्यवहार्यता की दृष्टि से सभी नवीन तकनीकों का परीक्षण करती है।
- समग्र विकास एजेंडा में से स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने ओडीएफ गांवों में सभी केंद्र प्रायोजित स्कीमों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। कई अन्य विकास स्कीमों को स्वच्छता परिणामों के साथ जोड़ा जा रहा है।
- मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन को भी सुदृढ़ किया गया है। आईएमआईएस पर घरेलू स्तर के आंकड़े हैं, इसमें शौचालयों के जीयो-टैग्ड चित्रों को कैप्चर करने का प्रावधान भी है। एक स्वच्छता ऐप तैयार किया गया है जो घरेलू स्तर तक की स्वच्छता स्थिति पर ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराएगा। ''स्वच्छ ऐप'' पर नागरिकों द्वारा स्वच्छता की रैंकिंग भी की जा सकती है।
- जिलों की सहायता हेतु जिला स्वच्छता प्रेरकों को नियोजित किया जा रहा है।
- ज्ञान को साझा करने के लिए स्वच्छ संग्रह का वैब पोर्टल बनाया गया है।